



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.176-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 28, 2016 (KRTK 6, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

संख्या 1 / 20 / 2016(आर.पी.)—5 पी.आर. (एफ.डी.)— भारत के संविधान के अनुचेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा सविलि सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम  
तथा प्रारम्भ।

(2) जब तक सरकार द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के लिए अन्यथा से उपबंधित न किया जाए, ये नियम जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. (1) इन नियमों के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम हरियाणा सरकार के कार्यकलापों से सम्बद्ध सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति किये गए व्यक्तियों पर लागू होंगे जो हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं तथा जिनके वेतन राज्य सरकार की समेकित निधि से विकलनीय है।

सरकारी कर्मचारियों  
के प्रवर्ग जिन्हें ये  
नियम लागू  
होते हैं।

टिप्पणी:—ये नियम पुनः नियोजित पेंशनरों को भी लागू होंगी तथा इसमें सैनिक पेंशनर भी शामिल हैं जो प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन के पुनरीक्षण के अध्यीन विद्यमान वेतन ढांचा में वेतन ले रहे हैं।

(2) ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे:—

- (क) हरियाणा सरकार के कार्यकलापों से संबद्ध कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्य;
- (ख) हरियाणा सरकार के कार्यकलापों से संबद्ध कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारी;
- (ग) व्यक्ति, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है;
- (घ) व्यक्ति, जिन्हें मासिक आधार से अन्यथा भुगतान किये जाते हैं, इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें भागदर आधार पर या दैनिक वेतन आधार या संविदा आधार पर भुगतान किये जाते हैं या ऑटोटसोर्सिंग पॉलिसी के अधीन नियुक्त किये गए हैं;

- (ङ.) सरकारी कर्मचारी जो तिथि, जिसको जिन्होंने हरियाणा सरिलि सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियमों के अधीन वेतनमान में अपने वेतन लेने प्रारम्भ किये हैं, से हरियाणा सरिलि सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियमों के अधीन वेतनमान में अपने वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा उस समय तक वे उस वेतनमान में अपने वेतन प्राप्त कर रहे हैं;
- (च) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग जिसे सरकार, आदेश द्वारा इन नियमों में दिये गए सभी किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएँ।

**3.** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “पुनर्रक्षित वेतन ढांचा में मूल वेतन” से अभिप्राय है, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में प्राप्त किया गया वेतन किन्तु इसमें किसी अन्य किस्म का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं हैं;
- (ख) “सरिलि सेवा नियमों” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर यथा संशोधित लागू सरिलि सेवा नियम;
- (ग) किसी पद अथवा सरकारी कर्मचारी के संदर्भ में “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, पद जिस पर ऐसा सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में नियमित तथा सीधी भर्ती से नए प्रवेषक के रूप में नियुक्त किया गया था;
- (घ) “विद्यमान मूल वेतन” से अभिप्राय है, व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा दिनांक 31 दिसंबर, 2015 को धारित किसी पद के विकल्प की तिथि को विद्यमान वृत्तिमूलक बैंड जमा वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन, किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का कोई वेतन जैसे “विशेष वेतन”, “वैयक्तिक वेतन” इत्यादि शामिल नहीं हैं;

**व्याख्या:**—जहां कोई उच्चतर वेतन ढांचा (सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन ढांचा से अन्यथा) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को उसे वैयक्तिक उपाय के रूप में स्वीकृत किया गया है, उस वेतन ढांचा में उसका मूल वेतन विद्यमान मूल वेतन समझा जायेगा;

- (ङ.) “विद्यमान परिलाभों” से अभिप्राय है, जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को (i) विद्यमान मूल वेतन तथा (ii) सूचकांक औसत पर विद्यमान मंहगाई भत्ते की धन राशि। किन्तु इसमें अंतरिम राहत या कोई अन्य राहत या परिलाभ शामिल नहीं हैं;
- (च) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में “विद्यमान वेतन ढांचा” और ग्रेड वेतन/वेतनमान” अथवा “विद्यमान वेतन ढांचा” से अभिप्राय है, इन नियमों के लागू होने से तुरन्त पूर्व की तिथि को किसी कर्मचारी द्वारा धारित पद को लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड की वर्तमान पद्धति चाहे अधिष्ठापी या स्थानापन्न हैसियत में हो;

**व्याख्या:**—किसी सरकारी कर्मचारी जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को भारत से बाहर प्रति—नियुक्ति पर या अवकाश पर या विदेशी सेवा पर था या जिसका उस दिन को एक या अधिक निम्न पदों पर स्थानापन्न न होता, किन्तु उसका स्थानापन्न उच्चतर पद पर है, के संबंध में “विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान” अथवा “विद्यमान वेतन ढांचा” की अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, पद के संबंध में, जिसे उसने धारण न किया होता किंतु उच्चतर पद में भारत के बाहर प्रतिनिवित या अवकाश या विदेश सेवा या स्थानापन्न, जैसी भी स्थिति हो, पर उसके होते हुए, ऐसा मूल वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान होगा;

- (छ) किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में “वृत्तिमूलक वेतन ढांचा वृत्तिमूलक स्तर” से अभिप्राय है, उस द्वारा किसी धारित पद के विहित वेतन मैट्रिक्स में वृत्तिमूलक स्तर। किन्तु इसका अभिप्राय कोई अन्य स्तर नहीं होगा जिसमें सरकारी कर्मचारी उसे किसी अन्य औचित्य जैसे सेवा काल, उच्चतर/अतिरिक्त योग्यता या किसी अन्य कारण से देय वेतनमान की अपग्रेडशन से उसे वैयक्तिक उपाय के रूप में अपना वेतन प्राप्त कर रहा है;
- (ज) “सरकारी कर्मचारी” से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी जिसे इन नियमों का नियम 2 लागू है;
- (झ) “सरकार” से अभिप्राय है, इन नियमों द्वारा अथवा के अधीन यथा उपर्युक्त के सिवाय, वित्त विभाग में हरियाणा सरकार;

- (अ) "अवकाश" से अभिप्राय है, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर सिविल सेवा नियम में यथा परिभाषित कोई स्वीकृत अवकाश। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार की अनुपस्थिति अवकाश के रूप में नहीं समझी जायेगी;
- (ट) वेतन मैट्रिक्स में "लागू स्तर" से अभिप्राय है, प्रथम जनवरी, 2016 को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान के समरूप स्तर;
- (ठ) "व्याख्यात्मक ज्ञापन" से अभिप्राय है, इन नियमों के स्वरूप, तत्व ज्ञान औचित्य उद्देश्यों, लागूकरण इत्यादि को स्पष्ट करने वाला इन नियमों से संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन;
- (ड) "स्थानापन्न नियुक्ति" से अभिप्राय है, अस्थाई के रूप में किसी स्थाई या अस्थाई पद पर किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति। नियमित आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति परिविक्षा अवधि के दौरान स्थानापन्न के रूप में भी समझी जायेगी;
- (ण) "स्तर में वेतनमान" से अभिप्राय है, अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित सैल में प्राप्त किया गया वेतन;
- (त) "वेतन मैट्रिक्स" से अभिप्राय है, विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान से समरूप यथा समनुदेशित वर्णाकूल सैलों में दिये गए वेतन के स्तरों सहित अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स;
- (थ) "किसी कर्मचारी को वैयक्तिक उपाय के रूप में वेतनमान" से अभिप्राय है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को उसके वैयक्तिक उपाय के रूप में प्रदान किया गया कोई वेतन ढांचा। किंतु इसमें अतिरिक्त योग्यता इत्यादि रखने के लिए प्रदान किया गया सुनिश्चित जीविका प्रगति वेतन ढांचा या कोई अन्य वेतन ढांचा शामिल नहीं है;
- (द) "वेतन" से अभिप्राय है, विशेष वेतन अथवा उसकी वैयक्तिक योग्यता अथवा उसके सेवा काल के बदले में दिये विशेष वेतन या वेतन से भिन्न, वृत्तिमूलक वेतनमान में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिमास प्राप्त की गई राशि, जो उसके द्वारा स्थाई रूप से अथवा स्थानापन्न हैसियत में अथवा यदि जहां कोई संवर्ग गठित करते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के लिए पृथक रूप से वृत्तिमूलक वेतनमान स्वीकृत नहीं है, वेतनमान, जिसके लिए वह किसी संवर्ग में अपने पद के कारण हकदार है, धारित पद के लिए स्वीकृत की गई है,
- (घ) "व्यक्तियों" से अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारी हों;
- (न) "पुनरीक्षित परिलाभों" से अभिप्राय है, पुनरीक्षित वेतन ढांचे में किसी सरकारी कर्मचारी का स्तर में पुनरीक्षित वेतन;
- (प) "किसी पद के सम्बन्ध में "पुनरीक्षित वेतन ढांचा" से अभिप्राय है किसी पद के वर्तमान वेतनबैंड तथा ग्रेड वेतन या वर्तमान वेतन ढांचे के समरूप वेतन मैट्रिक्स का पुनरीक्षित स्तर जब तक उस पद के लिए कोई भिन्न पुनरीक्षित स्तर अलग से अधिसूचित नहीं किया जाता;
- (फ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ब) "अधिष्ठायी वेतन" से अभिप्राय है, ऐसे पद पर सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया वेतन जिस पर सरकारी कर्मचारी अधिष्ठायी रूप से अथवा संवर्ग में उसके अधिष्ठायी पद के कारण नियुक्त किया गया है।

**टिप्पणी—** कोई सरकारी कर्मचारी जो किसी पद पर अस्थाई रूप ये नियुक्त किया गया है, जबकि वह अभी भी उस पद के लिए विहित वेतनमान के सिवाय जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है, अपने पहले के वेतनमान या किसी अन्य वेतनमान में अपना वेतनमान ले रहा है, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए न तो स्थानापन्न हैसियत में और न ही अधिष्ठायी हैसियत में ऐसे पद पर नियुक्त किया समझा जायेगा।

4. (क) पद का वृत्तिमूलक स्तर, अनुसूचित 1 में वेतन मैट्रिक्स में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान पदों का वृत्तिमूलक वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान से समरूप दिये गए विभिन्न स्तरों के स्तर।  
 (ख) जहां किसी पद का वृत्तिमूलक वेतनमान 31 दिसंबर, 2005 को 6500—10500 रुपये था और उसके बाद प्रथम जनवरी, 2006 से ग्रेड वेतन 4200 रुपये सहित वेतन बैंड-2 में पुनरीक्षित किया गया था, प्रथम जनवरी, 2016 से उस पद को लागू पुनरीक्षित स्तर, ग्रेड

वेतन 4600 रुपये के समरूप 7 (सात) होगा। तथापि, जहां किसी पद का वृत्तिमूलक वेतनमान 6500—10500 रुपये से कम था और प्रथम जनवरी 2006 या उसके बाद ग्रेड वेतन 4200 रुपये में अपग्रेडिड किया गया था, अपग्रेशन के इस उपबंध के अधीन कवर नहीं होगा उदाहरणार्थ 31 दिसंबर 2005 को कनिष्ठ मौलिक अध्यापक का वेतनमान 4500—7000 रुपये था तथा स्टाफ नर्स का 5000—7850 रुपये था जो प्रथम जनवरी, 2006 से वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 4200 रुपये में पुनरीक्षित किये गए थे। कनिष्ठ मौलिक अध्यापक तथा स्टाफ नर्स का पुनरीक्षित वेतनमान प्रथम जनवरी 2016 से लागू नए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 होगा;

(ग) स्वारथ्य सेवाएं विभाग हरियाणा के प्रयोगशाला तकनीशियन (सामान्य) के पद का वृत्तिमूलक स्तर, वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6 होगा [विद्यमान ग्रेड वेतन 2800 रुपये को ग्रेड वेतन 4200 रुपये (समरूप स्तर 6) में अपग्रेडिड किया गया है];

(घ) जहां ग्रुप के पद का विद्यमान वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन, वेतन बैंड-2 या वेतन बैंड-3 में 5400 रुपये है, समरूप पुनरीक्षित स्तर, सीधी भर्ती या अन्यथा के माध्यम से ऐसे पदों पर नियुक्त सभी कर्मचारियों, इस शर्त के अध्ययधीन की ये पद सेवा नियमों में यथा विनिर्दिष्ट ग्रुप के हों, के लिए वेतन मैट्रिक्स का 10 है।

5. इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सरकारी कर्मचारी, पद, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, को लागू पुनरीक्षित वेतन ढांचा में स्तर में वेतन प्राप्त करेगा:

परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी जब तक विद्यमान वेतन ढांचा में वेतन निरंतर प्राप्त करने का चयन कर सकता है जब तक तिथि जिसको वह अपनी आगामी वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है या जब तक अपना पद रिक्त नहीं कर देता है या विद्यमान वेतन ढांचा में वेतन प्राप्त करना बंद नहीं कर देता है:

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहां कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन और इन नियमों की अधिसूचना की तिथि के बीच एक पद से किसी दूसरे उच्चतर ग्रेड वेतन या वेतनमान में पदोन्नत या नियुक्त किया गया है, ऐसे पदोन्नति, प्रथम जुलाई, 2016 या पश्चात्वृति, जैसी भी स्थिति हो, की तिथि से पुनरीक्षित वेतन ढांचा में चयन कर सकता है।

**व्याख्या—** 1. इस नियम के उपबंध के अधीन विद्यमान वेतन ढांचा बनाए रखने का विकल्प, केवल एक विद्यमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान के संबंध में अनुज्ञेय होगा।

**व्याख्या—** 2. जहां किसी पद का ग्रेड वेतन उच्चतर ग्रेड वेतन में विलय किया गया है या अपग्रेडिड किया गया है, ऐसे पद पर पदोन्नत कर्मचारी प्रथम जनवरी, 2016 तथा अधिसूचना की तिथि की बीच की अवधि के दौरान पदोन्नति की तिथि या प्रथम जुलाई, 2016 से पुनरीक्षित ढांचे के लिए चुनाव कर सकता है, किंतु उस मामले में 31 दिसंबर, 2015 को पदोन्नत पद का वेतन ढांचे में अनुज्ञेय विद्यमान मूलवेतन हिसाब में लिया जायेगा।

**व्याख्या—** 3. उपरोक्त विकल्प जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद सीधी भर्ती या अन्यथा से सरकारी सेवा में प्रथम बार के लिए किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा तथा उसे केवल पुनरीक्षित वेतन ढांचे में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा।

विकल्प का प्रयोग।

6. (1) नियम 5 के परन्तुके अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न प्रस्तुति में लिखित में किया जायेगा ताकि उप—नियम (2) में वर्णित प्राधिकारी के पास,—

(क) इन नियमों की अधिसूचना की तिथि; अथवा

(ख) तिथि जहां भूतलक्षी प्रभाव से विद्यमान वेतन ढांचा में पुनरीक्षण और/अथवा वेतन का पुनः नियतन इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से किसी पश्चात्वृति आदेश द्वारा किया गया है, से तीन मास के भीतर पहुंच जाएः

परन्तु—

(i) किसी कर्मचारी की दशा में जो ऐसी अधिसूचना की तिथि या ऐसे आदेश की तिथि, जैसी भी स्थिति हो, को भारत से बाहर है अर्थात् अवकाश या प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर है, तो उक्त विकल्प लिखित में प्रयोग करेगा ताकि भारत में उसके द्वारा अपने पद का प्रभाव लेने की तिथि से तीन मास के भीतर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाएः

(ii) परन्तु यह और कि जहां कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को निलंबनाधीन है, तो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से तीन मास के भीतर विकल्प

का प्रयोग कर सकता है यदि वह तिथि इस उपनियम में विहित तिथि से बाद में है।

- (2) सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प इन नियमों से संलग्न प्ररूप में वचनबद्धता सहित उसके कार्यालयाध्यक्ष को सूचित किया जायेगा।
- (3) यदि विकल्प के संबंध में सूचना उपनियम (1) में वर्णित समय अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो सरकारी कर्मचारी का चुनाव जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पुनरीक्षित वेतन ढांचे से शासित हुआ समझा जायेगा।
- (4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।

**टिप्पण 1.-** व्यक्ति जिनकी सेवाएं प्रथम जनवरी, 2016 को या के बाद समाप्त कर दी गई थी या जो मृत्यु स्वीकृत पद की समाप्ति पर सेवामुक्त, त्यागपत्र, पदच्युति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवा से हटाया जाने के कारण विहित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प नहीं दे सके थे, उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

**टिप्पण 2.-** व्यक्ति जिनकी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद मृत्यु हो गई है और जो निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं दे सके उन द्वारा भी जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को तथा से या बाद की ऐसी तिथि, जो उनके आश्रितों के लिए लाभदायक हो, से पुनरीक्षित वेतनमान ढांचे के लिए विकल्प दिया गया समझा जायेगा, यदि पुनरीक्षित वेतनमान ढांचा ज्यादा अनुकूल है तथा ऐसे मामलों में बकायों के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

**टिप्पण 3.-** व्यक्ति जो, जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अर्जित अवकाश या किसी अन्य अवकाश पर थे जो उन्हें अवकाश वेतन के लिए हकदार बनाती है, उपनियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

7. (1) किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन, जिसका वह जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अथवा से पुनरीक्षित वेतन ढांचे द्वारा शासित किये जाने वाले नियम 6 के अधीन चयन करता है, तब तक स्थाई पद, जिस पर वह धारणाधिकार धारण करता है या धारणाधिकार धारण किया हुआ होता यदि वह निलम्बित नहीं किया गया होता, में उसके अधिष्ठायी वेतन के संबंध में, तथा उसके द्वारा धारण किये गए स्थानापन्न के वेतन के संबंध में निम्नलिखित रीति में पृथक रूप में नियत नहीं किया जायेगा, जब तक किसी भी मामले में सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं करती है, अर्थात्:-

(अ) सभी कर्मचारियों के मामले में-

- (i) वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर में वेतन में 2.57 के गुणक से विद्यमान मूलवेतन को गुणा करते हुए वेतन प्राप्त किया जायेगा तथा नजदीकी रूपये से पूर्णांकित किया जायेगा इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर में अवस्थित होगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में किसी समरूप सैल के समान है, तो वह वेतन होगा, और यदि लागू स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन मैट्रिक्स के उस लागू स्तर में तुरन्त आगामी उच्चतर सैल में नियत किया जायेगा।

**उदाहरण: 1**

1.	विद्यमान वेतन बैंड :	पी.बी-1
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन :	रु० 2400/-
3.	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन :	रु० 10160/-
4.	विद्यमान मूल वेतन :	रु० 12500/- (10160+2400)
5.	2.57 के निर्धारण गुणक से गुणन करने के बाद वेतन :	रु० 32279.20 (पूर्णांक 32279)
6.	ग्रेड वेतन 2400 का समरूप स्तर :	स्तर 4
7.	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (अर्थात् स्तर 4 में 32279 के समान या आगामी उच्चतर) :	रु० 32300/-

ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
स्तर	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ii) जहां ग्रेड वेतन उच्चतर ग्रेड वेतन में विलय किया गया है या अपग्रेड किया गया है, तो पुनः पुनरीक्षित वेतन ढांचा (जैसे विलय से पूर्व है) में प्रथम जनवरी, 2016 को मूल वेतन उपरोक्त फार्मूला अपनाते हुए अपुनरीक्षित से पुनरीक्षित वेतन ढांचे में वेतन के प्रारम्भिक नियतन के समय हिसाब में लिया जाएगा :—

#### उदाहरण: 2

श्री टी सहायक के पद पर कार्य करते समय प्रथम जनवरी, 2016 को ग्रेड वेतन रूपये 3600/- प्राप्त कर रहे थे। इस पद का वृत्तिमूलक ग्रेड वेतन 4200 में विलय किया गया है जिसका वेतन मैट्रिक्स में समरूप स्तर 6 है। पुनरीक्षित स्तर में उसका वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा :—

1.	विद्यमान वेतन बैंड :	पी.बी-2
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन : (ग्रेड वेतन 4200 में विलय सहित)	रु० 3600/-
3.	विलय के बाद ग्रेड वेतन :	रु० 4200/-
4.	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन :	रु० 15000/-
5.	विद्यमान मूल वेतन :	रु० 18600/- (15000 + 3600)
6.	2.57 के निर्धारण गुणक से गुणन करने के बाद वेतन :	रु० 18600X 2.57 = 47802
7.	ग्रेड वेतन 4200 का समरूप स्तर :	स्तर 6
8.	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (अर्थात् स्तर 6 में 47802 के समान या आगामी उच्चतर) :	रु० 49000/-

ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन 2800	ग्रेड वेतन 4200	ग्रेड वेतन 4600
स्तर	स्तर 5	स्तर 6	स्तर 7
1	29200	35400	44900
2	30100	36500	46200
3	31000	37600	47600
4	31900	38700	49000
5	32900	39900	50500
6	33900	41100	52000
7	34900	42300	53600
8	35900	43600	55200
9	37000	44900	56900

10	38100	46200	58600
11	39200	47600	60400
12	40400	<b>49000</b>	62200
13	41600	50500	64100
14	42800	52000	66000

(iii) जहां कोई सरकारी कर्मचारी प्रथम जनवरी, 2016 तथा अधिसूचना की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी पद पर पदोन्नत किया गया है जिसका ग्रेड वेतन उच्चतर ग्रेड वेतन में विलय किया गया है या अपग्रेडिड किया गया है, तो प्रथम जनवरी, 2016 से बाद की तिथि से पुनः पुनरीक्षित वेतन ढांचा के लिए चुनाव करता है, किन्तु उसके मामले में विकल्प की तिथि पर उस द्वारा धारित पद का 31 दिसम्बर, 2015 का वेतन ढांचा हिसाब में लिया जाएगा। जिसे नीचे उदाहरण 3 में स्पष्ट किया गया है:-

### उदाहरण: 3

श्री पी ग्रेड वेतन रूपये 3600/- में श्रम निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, उसे दिनांक 01.08.2016 से ग्रेड वेतन 4200 में श्रम अधिकारी के पद पदोन्नत किया गया था, श्रम अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन दिनांक 01.01.2016 से ग्रेड वेतन 4200/- से ग्रेड वेतन 4600 में अपग्रेडिड किया गया है, श्रीमान पी पदोन्नति की तिथि से पुनरीक्षित वेतन नियमों का चुनाव करता है। श्रीमान पी का वेतन निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा :—

1.	विद्यमान वेतन बैंड :	पी.बी-2
2.	01.07.2016 को फीडर पद का विद्यमान ग्रेड वेतन में वेतन	रु० 23300/- (19700 जमा 3600)
3.	पदोन्नति की तिथि :	01.08.2016
4.	पदोन्नत पद का विद्यमान ग्रेड वेतन :	रु० 4200/-
5.	01.01.2016 को पदोन्नत पद का अपग्रेडिड ग्रेड वेतन :	रु० 4600/-
6.	01.08.2016 को नियत वेतन :	रु० 24600/- (20400 जमा 4200)
7.	2.57 के निर्धारण गुणक से गुणन करने के बाद वेतन : 24600 X 2.57 =	रु० 63,222/-
8.	अपग्रेडिड ग्रेड वेतन 4600 का समरूप स्तर :	स्तर 7
9.	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (अर्थात् स्तर 7 में 63,222/- के समान या आगामी उच्चतर) :	रु० 64,100/-

ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन 4200	ग्रेड वेतन 4600	ग्रेड वेतन 4800
स्तर	स्तर 6	स्तर 7	स्तर 8
1	35400	44900	47600
2	36500	46200	49000
3	37600	47600	50500
4	38700	49000	52000
5	39900	50500	53600
6	41100	52000	55200
7	42300	53600	56900
8	43600	55200	58600

9	44900	56900	60400
10	46200	58600	62200
11	47600	60400	64100
12	49000	62200	66000
13	50500	<b>64100</b>	68000
14	52000	66000	70000

- (iv) यदि न्यूनतम वेतन या लागू स्तर में प्रथम सैल उपरोक्त उप खण्ड (i), (ii) या (iii) के अनुसार प्राप्त राशि अधिक है, तो वेतन, न्यूनतम वेतन या उस लागू स्तर के प्रथम सैल में नियत किया जाएगा।
- (आ) चिकित्सा अधिकारियों की दशा में, जिसके सम्बन्ध में गैर-व्यवसाय भत्ता अनुज्ञेय है, पुनरीक्षित वेतन ढांचा में वेतन निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा :—
- (i) विद्यमान मूल वेतन 2.57 के गुणक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अनुज्ञात पुनः पुनरीक्षित गैर व्यवसाय भत्ते के महंगाई भत्ते के समकक्ष राशि में जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उस स्तर में निर्धारित की जाएगी और वेतन मैट्रिक्स के लागू स्तर में समरूप किसी सैल में ऐसी राशि के समान होगी, वह उसका वेतन होगा और यदि लागू स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन मैट्रिक्स के उस लागू स्तर में तुरन्त आगामी उच्चतर सैल में नियत किया जायेगा;
- (ii) उप-खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार प्राप्त वेतन में विद्यमान मूल वेतन पर अनुज्ञेय पुनः पुनरीक्षित गैर व्यवसाय भत्ता जोड़ दिया जाएगा, जब तक गैर व्यवसाय भत्ते की पुनरीक्षित दरों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

#### उदाहरण: 4

1.	विद्यमान वेतन बैंड :	पी.बी-3
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन :	रु० 5400/-
3.	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन :	रु० 15600/-
4.	विद्यमान मूल वेतन :	रु० 21000/-
5.	मूल वेतन का 25 प्रतिशत गैर-व्यवसाय भत्ता:	रु० 5250/-
6.	125 प्रतिशत की दर से गैर-व्यवसाय भत्ते पर महंगाई भत्ता :	रु० 6563/-
7.	2.57 के निर्धारण गुणक से गुणन करने के बाद वेतन :	रु० 21,000 X 2.57 = 53,970
8.	गैर-व्यवसाय भत्ते पर महंगाई भत्ता :	रु० 6,563 (5,250 का 125 प्रतिशत)
9.	क्रम संख्या 7 और 8 की धन-राशि :	रु० 60,533/-
10.	ग्रेड वेतन 5400 (पी०बी० 3) के समरूप स्तर :	स्तर 10
11.	वेतन मैट्रिक्स में पुनरीक्षित वेतन (अर्थात् स्तर 10 में 60540/- के समान या आगामी उच्चतर) :	रु० 61,300/-
12.	पुनः पुनरीक्षित गैर व्यवसाय भत्ता :	रु० 5,250/-
13.	पुनरीक्षित वेतन जमा पुनः पुनरीक्षित गैर व्यवसाय भत्ता :	रु० 66,550/-

ग्रेड वेतन	ग्रेड वेतन 5400	ग्रेड वेतन 6600	ग्रेड वेतन 7600
स्तर	स्तर 10	स्तर 11	स्तर 12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200

3	59500	71800	83600
4	<b>61300</b>	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

**टिप्पण 1.**— कोई सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश सहित जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को अवकाश पर है और अवकाश वेतन लेने का हकदार है, तो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन या पुनरीक्षित वेतन ढांचे के लिए विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा।

**टिप्पण 2.**— निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी की दशा में, वह विद्यमान वेतन ढांचे के आधार पर भ्रण—पोषण भत्ता लगातार प्राप्त करता रहेगा और पुनरीक्षित वेतन ढांचे में उसका वेतन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अन्तिम आदेश या अन्यथा अन्तिम आदेश, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यधीन होगा।

**टिप्पण 3.**— जहां किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, विद्यमान परिलाभ, पुनरीक्षित परिलाभों से अधिक हैं, तो अन्तर भविष्य में वेतन की वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित किए जाने के लिए अनुज्ञात होगा।

**टिप्पण 4.**— जहां कोई सरकारी कर्मचारी इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से तुरन्त पूर्व वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा है, के साथ—साथ उसके विद्यमान परिलाभ, पुनरीक्षित परिलाभों से अधिक हैं, तो ऐसी अधिकता के रूप में अन्तर भविष्य में वेतन की वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित किए जाने के लिए अनुज्ञात होगा।

**टिप्पण 5.**— (क) जहां उप—नियम (1) के अधीन वेतन के नियतन में कोई सरकारी कर्मचारी जो विद्यमान वेतन ढांचे में जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से तुरन्त पूर्व, समान वर्ग के किसी कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो उसका वेतन उसके ऐसे कनिष्ठ से निम्न सैल में पुनरीक्षित वेतन ढांचे में नियत हो जाता है, तो उसका वेतन उस कनिष्ठ के समरूप पुनरीक्षित वेतन ढांचे में समरूप सैल में स्टेपड अप किया जाएगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह पुनरीक्षित वेतन ढांचे में अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त कर रहा है, जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी का वेतन उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ कर्मचारी के लिए यथानियत वेतन ढांचे में वेतन के बराबर राशि तक स्टेपड अप किया जाएगा। स्टेपिंग अप कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से किया जाएगा।

उपरोक्त (क) तथा (ख) के अधीन स्टेपिंग अप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी, अर्थात् :—

- (i) दोनों कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी एक ही संवर्ग के होने चाहिए;
  - (ii) निम्नतर और उच्चतर पदों के विद्यमान वेतन ढांचा तथा पुनरीक्षित वेतन ढांचा जिनमें वे वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं, समान होने चाहिए;
  - (iii) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो;
  - (iv) विसंगति सिविल सेवा नियमों या किन्हीं अन्य नियमों के उपबन्धों के लागूकरण या पुनरीक्षित वेतन ढांचे में ऐसी पदोन्नति पर वेतन नियतन विनियमित करने वाले आदेशों से प्रत्यक्ष रूप के परिणाम स्वरूप हैं :
- परन्तु यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी वैयक्तिक उपाय से उसे प्रदान किसी अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) या अन्यथा से अपने वरिष्ठ से विद्यमान वेतन ढांचे में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस उप—नियम के उपबन्ध वरिष्ठ अधिकारी का वेतन स्टेप अप करने हेतु लागू नहीं होंगे।
- (g) खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनः नियतन के सम्बन्ध में आदेश सिविल सेवा नियमों के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी वेतन के पुनः नियतन की तिथि से उसकी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने पर आगामी वेतनवृद्धि के लिए हकदार होगा।

जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या के बाद सीधी भर्ती से या अन्यथा सरकारी सेवा में प्रथम रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का नियतन, जिस पर ऐसे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उस पद को लागू न्यूनतम वेतन या स्तर में प्रथम सैल में नियत किया जाएगा :

परन्तु जहां जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद तथा इन नियमों की प्रकाशन की तिथि से पूर्व नियुक्त ऐसे कर्मचारियों का विद्यमान वेतन ढांचे में पहले से नियत किया गया है और यदि उसके विद्यमान परिलाभ, पद, जिस पर वह जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके बाद नियुक्त किया गया है, को यथा लागू न्यूनतम वेतन या स्तर में प्रथम सैल से अधिक होते हैं, तो ऐसा अन्तर वेतन में भविष्य में वेतनवृद्धियों में समाहित किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धियां।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि ऐसी होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में लागू स्तर के वर्णाकूल सैलों में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

**उदाहरण।**—स्तर 4 में 32,300 के मूल वेतन में कर्मचारी को नीचे उसी स्तर में वर्णाकूल रूप में स्थापित किया जाएगा। सैलों में स्तर और वेतनवृद्धि प्रदान करने पर, उसका मूल वेतन 33,300 होगा।

ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
स्तर	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	32300	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

पुनरीक्षित वेतन ढांचे में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि।

10. (1) प्रथम जुलाई की वर्तमान तिथि के बजाय वेतनवृद्धि प्रदान करने के लिए दो तिथियां होंगी, अर्थात्, प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई :

परन्तु कर्मचारी अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने की तिथि पर निर्भर करते हुए केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार होगा, या तो प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई :

परन्तु यह और कि कोई सरकारी कर्मचारी जो प्रथम जुलाई या प्रथम जनवरी, जैसी भी स्थिति हो, को देय सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि से पूर्व छ हास की अर्हक सेवा परी नहीं करता है, तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि की तिथि प्रथम जनवरी या प्रथम जुलाई में परिवर्तित हो जाएगी और स्वीकार्यता के अध्यधीन होगी।

(2) जनवरी के द्वितीय दिन और जुलाई के प्रथम दिन (दोनों शामिल हैं) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत या वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदत्त किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि जनवरी के प्रथम दिन को प्रदान की जाएगी और जुलाई के द्वितीय दिन और जनवरी के प्रथम दिन (दोनों शामिल हैं) के बीच की अवधि के दौरान नियुक्त या पदोन्नत या वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदत्त किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि जुलाई के प्रथम दिन को प्रदान की जाएगी।

- उदाहरण।—** (क) जुलाई के द्वितीय दिन और जनवरी के प्रथम दिन के बीच की अवधि के दौरान सामान्य अनुक्रम में नियुक्त या पदोन्नत कर्मचारी की दशा में, प्रथम वेतनवृद्धि जुलाई, 2017 के प्रथम दिन को देय होगी और उसके बाद यह वार्षिक आधार पर एक वर्ष के बाद देय होगी;
- (ख) जनवरी के द्वितीय दिन और जुलाई के प्रथम दिन के बीच की अवधि के दौरान सामान्य अनुक्रम में नियुक्त या पदोन्नत कर्मचारी की दशा में, जो जुलाई, 2016 के प्रथम दिन कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करता है, तो आगामी वेतनवृद्धि जनवरी, 2017 के प्रथम दिन को देय होगी और उसके बाद यह वार्षिक आधार पर एक वर्ष के बाद देय होगी :

परन्तु किसी कर्मचारी की दशा में जिसका वेतन पुनरीक्षित वेतन ढांचा में जनवरी के प्रथम दिन को नियत किया गया है, तो स्तर में आगामी वेतनवृद्धि, जिसको वेतन जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को इस प्रकार नियत किया गया था, जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को देय होगी :

परन्तु यह और कि जुलाई, 2016 के प्रथम दिन को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद आगामी वेतनवृद्धि जुलाई, 2017 के प्रथम दिन को देय होगी।

**11.** जहां कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन ढांचे में अपना वेतन निरन्तर प्राप्त कर रहा है, जनवरी, 2016 के प्रथम दिन के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन ढांचे में प्राप्त करता है, तो पुनरीक्षित वेतन ढांचे में बाद की तिथि से उसका वेतन नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (अ) के अनुसार नियत किया जाएगा।

जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पश्चात्वर्ती तिथि से वेतन का नियतन।

**12.** कोई सरकारी कर्मचारी जिसे जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न किया गया है, किन्तु उस तिथि को उस पद को धारण नहीं कर रहा था और जो उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन ढांचे में वेतन प्राप्त कर रहा था, उस सीमा तक सिविल सेवा नियमों के उपबच्चों का लाभ अनुज्ञात किया जाएगा, जो उसे अनुज्ञेय हुआ होता, यदि वह जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को उस पद को धारण किया हुआ होता, और उस तिथि को या से पुनरीक्षित वेतन ढांचे का चुनाव किया है।

जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से पूर्व धारित पद के लिए उस तिथि के बाद उस पद पर पुनः नियुक्ति पर वेतन का नियतन।

**13.** एक पद से पुनरीक्षित वेतन ढांचा के उच्चतर या समान स्तर में दूसरे पद पर पदोन्नति की दशा में वेतन का नियतन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) उस स्तर में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी, जिससे कर्मचारी पदोन्नत हुआ है, और उसे पद, जिससे पदोन्नत हुआ है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप सैल में रखा जाएगा और स्तर, जिससे पदोन्नत हुआ है, में ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर के आगामी उच्चतर सैल में रखा जाएगा ;
- (ii) पदोन्नत पद पर कार्य करते समय वेतनवृद्धि या अन्यथा से फीडर पद के सम्भावित वेतन में वृद्धि होने पर, पदोन्नत पद का वेतन पुनः नियत किया जाएगा, मानो पदधारी ऐसी वृद्धि की तिथि को पदोन्नत किया गया है, यदि यह उसे 19 जुलाई, 2016 से पूर्व लागू पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-1, भाग-1 के नियम 4.14 (2) और 19 जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम 21 में यथा उपबन्धित लाभदायक है।

**उदाहरण 1।—** स्तर 7 से स्तर 8 में श्री 'अ' की पदोन्नति होने पर, वेतन का नियतन :—

1.	फीडर पद के वेतन का स्तर :	स्तर 7
2.	01.01.2016 को फीडर पद का स्तर में मूल वेतन :	रु० 52000/-
3.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2016
4.	स्तर 7 से स्तर 8 में पदोन्नति की तिथि :	01.02.2016

5.	पदोन्नत पद के वेतन का स्तर :	स्तर 8
6.	फीडर पद के स्तर 7 में एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद वेतन :	रु० 53,600/-
7.	पदोन्नत पद के स्तर अर्थात् स्तर 8 में पदोन्नति की तिथि को वेतन :	रु० 53,600/- (अर्थात् स्तर 8 में 53,600 के बराबर या आगामी उच्चतर)
8.	पदोन्नत पद के स्तर 8 में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.01.2017
9.	01.07.2016 को देय एक सामान्य वेतनवृद्धि जोड़ के बाद 01.07.2016 को फीडर पद का सम्भावित वेतन :	रु० 53,600/-
10.	पंजाब सिविल सेवा नियम जिल्द-1, भाग-1 के नियम 4. 14 (2) के उपबन्ध के अनुसार फीडर पद के सम्भावित वेतन में वृद्धि के कारण पदोन्नत पद के वेतन का पुनः नियतन :	रु० 55,200/-
11.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2017 और इसी प्रकार

ग्रेड वेतन	4200	4600	4800
स्तर	6	7	8
1	35400	44900	47600
2	36500	46200	49000
3	37600	47600	50500
4	38700	49000	52000
5	39900	50500	53600
6	41100	52000	55200
7	42300	53600	56900

**उदाहरण 2 :** स्तर 4 से स्तर 5 में श्री आ कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन का नियतन :—

1.	फीडर पद के वेतन का स्तर :	स्तर 4
2.	01.01.2016 को फीडर पद का स्तर में मूल वेतन :	रु० 27,900/-
3.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2016
4.	01.07.2016 को वार्षिक वेतनवृद्धि पर वेतन :	रु० 28,700/-
5.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि:	01.07.2017
6.	पदोन्नति की तिथि :	01.12.2016
7.	पदोन्नत पद के वेतन का स्तर :	स्तर 5
8.	फीडर पद के स्तर 4 में एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद वेतन :	रु० 29,600/-
9.	पदोन्नत पद के स्तर अर्थात् स्तर 5 में पदोन्नति की तिथि को वेतन :	रु० 30,100/-
10.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2017 और इसी प्रकार

ग्रेड वेतन	2400	2800	4200
स्तर	4	5	6
1	25500	29200	35400
2	26300	<b>30100</b>	36500
3	27100	31000	37600
4	27900	31900	38700
5	<b>28700</b>	32900	39900
6	<b>29600</b>	33900	41100
7	30500	34900	42300

**उदाहरण 3.—** विलय के बाद समान/उसी स्तर में पदोन्नति पर वेतन का नियतन :—

प्रथम जनवरी, 2016 से पूर्व, प्रधानाचार्य विद्यालय का ग्रेड वेतन 6000/- रूपए था और पदोन्नत पद अधीकारी का ग्रेड वेतन 6400/- रूपए था। अब, सभी पदों के ग्रेड वेतन 6000/- और 6400/-, ग्रेड वेतन 6600/- में विलय कर दिए गए हैं और फीडर तथा पदोन्नत पद समान स्तर 11 में शामिल हो गए हैं। प्रधानाचार्य का वेतन, जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर, निम्नानुसार नियत किया जाएगा :—

1.	फीडर के साथ-साथ पदोन्नत पद के वेतन का स्तर :	स्तर 11
2.	प्रधानाचार्य के स्तर में 01.07.2016 को मूल वेतन :	₹० 88,400/-
3.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2017
4.	जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तिथि :	31.08.2016
5.	पदोन्नत पद के वेतन का स्तर :	स्तर 11
6.	फीडर पद के स्तर 11 में एक वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन :	₹० 91,100/-
7.	आगामी वेतनवृद्धि की तिथि :	01.07.2017 और इसी प्रकार

ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
स्तर	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400
7	67000	80900	94100
8	69000	83300	96900
9	71100	85800	99800
10	73200	<b>88400</b>	102800
11	75400	<b>91100</b>	105900
12	77700	93800	109100

(iii) गैर-व्यवसाय भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों की दशा में, उनका मूल वेतन जमा गैर-व्यवसाय भत्ता, एचएजी स्तर (2,24,100) और मुख्य सचिव (2,25,000) के स्तर को लागू पुनरीक्षित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा जो 2,24,550 बनता है।

वेतन बकायों के भुगतान का ढंग।

**14.** वेतन का बकाया अधिमान्यतः चालू वित्त वर्ष 2016–2017 के दौरान नकद में भुगतान किया जाएगा।

**व्याख्या—** इस नियम के प्रयोजन के लिए,—

(क) “बकाया वेतन” से अभिप्राय है, सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित के बीच अन्तरः—

(i) जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से प्रभावी अवधि के लिए वेतन तथा महंगाई भत्ते का योग जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन अपने वेतन के पुनरीक्षण के कारण हकदार है; तथा

(ii) वेतन तथा महंगाई भत्ते का योग जिसके लिए वह हकदार हुआ होता (चाहे ऐसा वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया गया है या नहीं) उस अवधि के लिए उसका वेतन तथा भत्ते इस प्रकार पुनरीक्षित नहीं किए गए हों;

(ख) ग्रुप ग तथा घ कर्मचारियों को 2000/- रुपए (केवल 2000 रुपए) की दर से प्रतिमास भुगतान की गई अन्तरिम राहत प्रथम जनवरी, 2016 से समाप्त की जाती है और प्रथम जनवरी, 2016 तथा उससे आगे भुगतान की गई अन्तरिम राहत की राशि उनसे वसूल की जाएगी;

(ग) हरियाणा पुलिस तथा कारगार विभाग के कार्मिकों को अनुदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रतिमास 5000 रुपये (केवल पांच हजार रुपये) का जोखिम भत्ता ऐसे समय तक जारी रहेगा जब तक सरकार द्वारा पृथक रूप से ऐसे आदेश जारी न किये जाएं।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव।

**15.** इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय सिविल, सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के उपबन्ध, ऐसे मामलों को जहां वेतन को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं।

ढील देने की शक्ति।

**16.** जहां सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो वह आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति में मामले को निपटान के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उनमें ढील दे सकती है।

**टिप्पणि—** इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई ढील सरकारी कर्मचारी के ऐसे वर्ग तथा प्रवर्गों के गुणागुण पर निर्भर रहते हुए दी गई समझी जाएगी तथा इसलिए, सरकारी कर्मचारी के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के पक्षपात के रूप में नहीं मानी जाएगी।

परिवर्धन या विलोपन इत्यादि करने की शक्ति।

**17.** जहां सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि पदों के किसी वर्ग या प्रवर्गों में परिवर्धन या विलोपन करने या इन नियमों की अनुसूची में या स्थाई रूप से या अस्थाई रूप से पदनाम तथा वेतन ढांचा बदलने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तों को परिवर्तित करने या विलुप्त करने या बदलने में सक्षम होगी। इन नियमों के उपबन्ध ऐसे परिवर्धनों या विलोपों या परिवर्तनों को लागू होंगे जैसा सरकार विशिष्ट आदेशों द्वारा ऐसा निर्देश करे या उसकी अनुपस्थिति में उन नियमों के सभी उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों परिवर्तन किए गए थे।

निर्वचन।

**18.** यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है, तो यह विनिश्चय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

शेष उपबन्ध।

**19.** किसी सामान्य या विशेष परिस्थितियों की दशा में जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं या जिनके बारे में निश्चित असंगति ध्यान में आई हो, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुसरण की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। ऐसी शर्तें जो इस नियम के अधीन, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इन नियमों का भाग मानी जाएंगी। आगे, यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के अधीन करिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित करेगी और इस नियम के अधीन सरकार द्वारा, यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग समझी जाएंगी।

三

अनुसूची - I



**अनुसूची - II**  
**विकल्प का प्ररूप**  
**(देखिए नियम 6)**

- '(i) मैं, ..... इसके द्वारा, प्रथम जनवरी, 2016 से  
 पुनरीक्षित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ।
- '(ii) मैं, ..... इसके द्वारा, नीचे वर्णित तिथि तक अपने  
 अधिष्ठाई / स्थानापन पद के विद्यमान वेतन ढांचे में बने रहने का चयन करता हूँ :  
 'मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तिथि;  
 मैं विद्यमान वेतन ढांचे में वेतन लेना छोड़ता हूँ या बन्द करता हूँ;  
 मेरी पदोन्नति की तिथि से .....  
 वर्तमान वेतन ढांचा.....

हस्ताक्षर.....  
 नाम .....  
 पदनाम .....  
 कार्यालय जिसमें नियोजित है .....

तिथि :

स्थान :

'जो लागू न हो, काट दिया जाए।

**हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016**  
**का व्याख्यात्मक ज्ञापन**

**नियम 1.**— यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

**नियम 2.**— यह नियम कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को निर्धारित करता है जिन्हें ये नियम लागू होते हैं उप नियम (2) के अधीन निकाले गए प्रवर्गों के सिवाय, यह नियम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो हरियाणा सरकार की नियम बनाने वाली शक्ति के अधीन नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा सरकार के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कार्यरत हैं और जिनका वेतन हरियाणा सरकार की समेकित निधि से विकलनीय है। ये कर्मचारियों के किन्हीं अन्य प्रवर्गों को लागू नहीं होते।

**नियम 3.**— यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

आगे जहां कहीं भी इस नियम के अधीन परिभाषित अभिव्यक्तियां इन नियमों में अथवा इन नियमों के सम्बन्ध में जारी किए गए किन्हीं अन्य नियमों/ अनुदेशों/ आदेशों/ अधिसूचनाओं इत्यादि में वर्णित हैं, इस नियम के अधीन यथा विहित परिभाषाएं, जिसे इन नियमों में या किन्हीं अन्य नियमों/ अनुदेशों/ आदेशों/ अधिसूचनाओं इत्यादि, जैसी भी स्थिति हो, के अर्थ के रूप में लिया गया है।

**नियम 4.**— यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

**नियम 5.**— आशय यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन ढांचे में लाया जाना चाहिए सिवाय उनके जो विद्यमान वेतन ढांचे का चुनाव नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारी जो विद्यमान वेतन ढांचे में निरन्तर बने रहने का चुनाव करते हैं तो वे प्रथम जनवरी, 2016 को लागू दर पर महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम राहत निरन्तर प्राप्त करते रहेंगे।

**नियम 6.**— यह नियम रीति, जिसमें विकल्प का प्रयोग किया जाना है और प्राधिकारी जिसे ऐसे विकल्प से अवगत कराया जाना है, को विहित करता है। विकल्प का प्रयोग नियम से संलग्न उचित प्ररूप में ही किया जाना है। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, किन्तु यह भी सुनिश्चित करना है कि यह विहित प्ररूप में सरकारी तौर पर लिखित रूप में समय सीमा के भीतर विहित प्राधिकारी को पहुंच जाए। ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के समय पर, छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में हैं, अवधि, जिसके भीतर कवलिय का प्रयोग किया जाना है उस तिथि से तीन मास हैं जिसको वे पद भार ग्रहण करते हैं। यह और स्पष्ट किया जाता है कि उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो छुट्टी पर हैं अनाधिकृत अनुपस्थिति इन नियमों के अधीन यथा प्रदान की गई राहत प्राप्त करने का सरकारी कर्मचारी हकदार नहीं होगा। तीन मास की अवधि ऐसी तिथि से गिनी जाएगी जिस पर स्वीकृत की गई छुट्टी समाप्त हो जाती है। कोई अन्य आवश्यकता ऐसे सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त राहत के योग्य नहीं बनाएगी। व्यक्ति, जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से तथा इन नियमों के जारी होने की तिथि के बीच सेवा निवृत्त हो गए हैं, भी विकल्प को प्रयोग करने के पात्र हैं।

**नियम 7.**— यह नियम 31 दिसम्बर, 2015 को पुनरीक्षित वृत्तिमूलक वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से सम्बन्धित है। इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा किसी विभिन्न नियम के अधीन किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाएगा। रीति, जिसमें सरकारी कर्मचारी का वेतन इस नियम के अधीन नियत किया जाना चाहिए, को दर्शाते हुए उदाहरण सुसंगत नियम में नीचे दिए गए हैं।

**नियम 8.**— यह नियम जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या के बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के ढंग को विहित करता है।

**नियम 9**  
**तथा 10.**— ये नियम ऐसी रीति विहित करते हैं, जिसमें नये वेतन ढांचे में आगामी वेतनवृद्धि विनियमित की जाएगी। रीति, जिसमें सरकारी कर्मचारी की वेतनवृद्धि विनियमित की जानी चाहिए, को दर्शाते हुए उदाहरण सुसंगत नियम में नीचे दिए गए हैं।

**नियम 11**  
**से 14.—** ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

- नियम 15.—** यह नियम, उस नियम के अध्यारोही प्रभाव से सम्बन्धित है, जो उपबन्ध करता है कि इन नियमों के उपबन्ध विनियमित होंगे तथा किसी अन्य नियम के उपबन्ध, इन नियमों में यथा विहित शर्तों को विनियमित नहीं करेंगे तथा इन नियमों के उपबन्धों तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबन्धों के बीच किसी असंगत सीमा तक विनियमित नहीं करेंगे, इन नियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे तथा लागू होंगे।
- नियम 16.—** यह सम्भावना हो सकती है कि ये नियम किसी विशेष मामले में या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, नियम के उपबन्ध स्पष्ट हैं कि इनको केवल तभी लागू किया जाएगा, यदि सरकार की कुछ कठिनाइयों के अस्तित्व के बारे में सन्तुष्टि हो जाती है जिनमें ढील देना अपेक्षित है। ऐसी कठिनाइयों की ढील, विशेष मामलों में कर्मचारियों के वर्ग या प्रवर्गों के मामलों में गुणागुण पर आधारित होंगी, जहां ऐसी कठिनाइयों की ढील के लिए न्यायसंगत पाई जाती है। इसलिए, ऐसी कठिनाई को दूर करना, सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के साथ कोई पक्षपात करना नहीं है, जहां ऐसी कठिनाई या तो विद्यमान नहीं पाई गई है अथवा ढील के लिए न्यायसंगत नहीं पाई गई है।
- नियम 17.—** यदि परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करे, सरकार अनुसूची—I में यथा वर्णित पैरामीटरों में किन्हीं को जोड़ सकती है या हटा सकती है या बदल सकती है तथा आगे ढंग निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें इन नियमों के उपबन्ध सामान्यतः अथवा विशिष्टतया ऐसे परिवर्तनों पर लागू होंगे। तथापि, इन नियमों के अधीन अधिकथित उपबन्धों की व्यावहारिकता के लिए किसी सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश की अनुपस्थिति की दशा में, यह समझा जाएगा कि सम्पूर्ण नियम ऐसे परिवर्तनों पर लागू होगा।
- नियम 18 तथा** ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।
- 19.—**

पी० राघवेन्द्र राव,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 28th October, 2016

**No. 1/20/2016(RP)-5PR(FD)**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.—**

- (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016.
- (2) These rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016, unless otherwise provided by the Government for any class or category of persons;

**2. Categories of Government employees to whom these rules apply.—**

- (1) Save as otherwise provided under these rules, it shall apply to the persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Government of Haryana, who are under the administrative control of the Government of Haryana and whose pay is debitible to the Consolidated Fund of the State of Haryana.

**Note.—** These rules shall also be applicable to re-employed pensioners including military pensioners, who are drawing pay in the existing pay structure subject to revision of pension from 1st January, 2016.

- (2) These rules shall not apply to—

- (a) Members of All India Services working in connection with the affairs of Government of Haryana;
- (b) Officers of judicial services working in connection with the affairs of Government of Haryana;
- (c) Persons not in whole time employment;
- (d) Persons paid otherwise than on monthly basis, including those paid on a piece-rate basis or on daily wages basis or on contract basis or appointed under outsourcing policies;
- (e) Government employee who is drawing his pay in a pay scale under Haryana Civil Services (Assured Carrier progression) rules with effect from the date on which he started drawing his pay in the pay scale under Haryana Civil Services (Assured Carrier progression) rules and till the time he draws his pay in that pay scale;
- (f) Any other class or category of persons whom the Government may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

**3. Definitions.—****In these rules, unless the context otherwise requires—**

- (a) “**basic pay in the revised pay structure**” means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc;
- (b) “**CSR**” means the Civil Services Rules applicable to Haryana Government employees as amended from time to time;
- (c) “**direct recruit**” with reference to a post or a Government employee means the post on which such Government employee was recruited as a regular and direct recruit fresh entrant in the Government service;
- (d) “**existing basic pay**” means pay in the existing functional pay band on the date of option plus functional Grade Pay of the post as on 31st December, 2015 held by the person, it does not include any other type of pay like “special pay”, “personal pay” etc;

**Exception:** Where a higher pay structure (other than ACP pay structures) has been sanctioned by the competent authority to a Government employee as a measure personal to him, his basic pay in that pay structure shall be treated the existing basic pay.

- (e) “**existing emoluments**” means the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January 2016. It does not include interim relief or any other relief or emoluments;

- (f) **“existing Pay Band and Grade Pay/Scale” or “existing pay structure”** in relation to a Government employee means the present system of Pay Band and Grade Pay or Higher Administrative Grade applicable to the post held by a Government employee as on the date immediately before the coming into force of these rules whether in a substantive or officiating capacity;

**Explanation:** The expressions “existing Pay Band and Grade Pay/Scale” or “existing pay structure”, in respect of a Government employee who on the 1st day of January, 2016 was on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, shall mean such basic pay, Pay Band and Grade Pay or scale in relation to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post, as the case may be;

- (g) **“functional pay structure or functional level”** in relation to a Government employee means the functional level in pay matrix prescribed for the post held by him. It does not mean any other level in which the Government employee is drawing his pay as a measure personal to him with any other justification like length of service, or higher/additional qualification or upgradation of pay scale due to any other reason;
- (h) **“Government employee”** means the Government employees to whom these rules apply under rule 2;
- (i) **“Government”** means the Government of the State of Haryana in the Finance Department save as otherwise provided by or under these rules;
- (j) **“leave”** means any sanctioned leave as defined in Civil Services Rules, except “casual leave”. Any type of absence without the sanction of competent authority shall not be considered as leave;
- (k) **“applicable level”** in the **Pay Matrix** shall mean the Level corresponding to the Pay Band and Grade Pay/ scale as on 1st January, 2016 specified in Schedule-I ;
- (l) **“memorandum explanatory”** means the memorandum explanatory appended to these rules, briefly explaining the nature, philosophy, justification, objectives, applicability etc. of these rules;
- (m) **“officiating appointment”** means appointment of a Government employee on a permanent or temporary post as a temporary measure. The appointment of a Government employee working on regular basis is also to be considered as officiating during the period of probation;
- (n) **“pay in the level”** means pay drawn in the appropriate Cell of the Level as specified in the Schedule-I ;
- (o) **“pay matrix”** means Matrix specified in the Schedule-I , with Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding **existing pay band and grade pay/scale**;
- (p) **“pay scale as a measure personal to a Government employee”** means any pay structure granted by the competent authority to a Government employee as a measure personal to him. It does not include ACP pay structure or any other pay structure granted for possessing additional qualification etc;
- (q) **“pay”** means the amount drawn monthly by a Government employee, other than special pay or pay granted in lieu of his personal qualification or his length of service, in the **functional pay structure**, which has been sanctioned for a post held by him in substantively or in an **officiating** capacity or in case where no separate functional pay scale is sanctioned for the post held by the Government employee constituting a cadre, in the pay scale to which he is entitled by reason of his position in a cadre;
- (r) **“persons”** means persons who are Government employees for the purposes of these rules;
- (s) **“revised emoluments”** means revised pay in the level of a Government employee in the revised pay structure;
- (t) **“revised pay structure”** in relation to a post means revised level in pay matrix corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or **existing pay structure** of the post unless a different revised Level is notified separately for that post;
- (u) **“schedule”** means schedule appended to these rules;

- (v) “**substantive pay**” means pay drawn by a Government employee on the post to which he has been appointed substantively or by reason of his/her substantive position in a cadre;

**Note.—** A Government employee who has been appointed temporarily to a post while still drawing his salary in his earlier pay scale or in any other pay scale except the pay scale prescribed for the post on which he has been appointed, will not be deemed to have been appointed against such post either in the officiating capacity or in the substantive capacity for the purposes of these rules.

**4. Level of posts.—**

- (a) The functional Level of post shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing functional Pay Band and Grade Pay or scale as specified in Pay Matrix in the Schedule-I.
- (b) Where the functional pay scale of a post was ₹ 6500-10500 as on 31st December, 2005 and thereafter revised to PB-2 with Grade Pay ₹ 4200 w.e.f. 1st January, 2006, the revised level of that post applicable w.e.f. 1st January, 2016 shall be 7 (seven) corresponding to Grade Pay ₹ 4600. However, where the functional pay scale of a post was less than ₹ 6500-10500 and upgraded to Grade Pay ₹ 4200 on or after 1st January, 2006 shall not be covered under this provision of upgradation, e.g. Pay Scale of JBT Teacher was ₹ 4500-7000 and that of Staff Nurse was ₹ 5000-7850 as on 31st December, 2005, which were revised to PB-2, Grade Pay ₹ 4200 w.e.f. 1st January, 2006. The revised level of JBT Teacher and Staff Nurse shall be 6 (six) in the new Pay Matrix applicable w.e.f. 1st January, 2016.
- (c) The functional level of the post of Lab Technician (General) of the Department of Health Services, Haryana shall be Level-6 (six) of Pay Matrix (existing Grade Pay ₹ 2800 to be upgraded to Grade Pay ₹ 4200 (corresponding Level-6 (six)).
- (d) Where existing functional grade pay of Group A post is ₹ 5400 in PB-2 or PB-3, the corresponding revised Pay Level shall be 10 (ten) of the Pay Matrix for all the employees appointed on such posts by way of direct recruitment or otherwise subject to the condition that these posts are of Group A as specified in the Service Rules.

**5. Drawal of pay in the revised pay structure.—**

Save as otherwise provided in these rules, a Government employee shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed:

Provided that a Government employee may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next increment or until he vacates his post or ceases to draw pay in the existing pay structure.

Provided further that in cases where a Government employee has been promoted or appointed from one post to another of higher grade pay or scale, between 1st day of January, 2016 and the date of notification of these rules may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, 1st July, 2016 or subsequent appointment, as the case may be.

**Explanation 1.—** The option to retain the existing pay structure under the provision of this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay / Scale.

**Explanation 2.—** Where Grade Pay of a post has been merged with higher grade pay or upgraded, the employee promoted to such post, between the period from 01.01.2016 and the date of notification, may opt for revised pay structure from a date of promotion or 1st July, 2016 but in that case the existing basic pay admissible in the pay structure as on 31.12.2015 of the promotional post shall be taken into account.

**Explanation 3.—** The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post for the first time in Government service by direct recruitment or otherwise on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

**6. Exercise of option.—**

- (1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to these rules so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) within three months from—
  - (a) the date of notification of these rules; or
  - (b) the date where revision in the existing pay structure and/or refixation of pay with retrospective effect is made by any order subsequent to the date of notification of these rules;

Provided that in the case of a Government employee who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India either on leave or deputation or foreign service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India;

Provided further that where a Government employee is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

- (2) The option shall be intimated by the Government employee to the Head of his office alongwith an undertaking, in the form appended to these rules.
- (3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government employee shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure w.e.f. the 1st day of January, 2016.
- (4) The option once exercised shall be final.

**Note 1.—** Persons whose services were terminated on or after the 1st January, 2016, and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of death, discharge on the expiry of the sanctioned post, resignation, dismissal or removal on account of disciplinary proceeding, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

**Note 2.—** Persons who have died on or after the 1st day of January, 2016, and could not exercise the option within the prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favorable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.

**Note 3.—** Persons who were on earned leave or any other leave on 1st day of January, 2016 which entitled them to leave salary shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

#### 7. Fixation of pay in the revised pay structure.—

- (1) The pay of a Government employee who elects or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in any case the Government by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in officiating post held by him, in the following manner namely:-

##### (A) In the case of all employees—

- (i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

##### **Illustration 1:**

1.	Existing Pay Band :	PB-1
2.	Existing Grade Pay :	₹ 2,400
3.	Existing Pay in Pay Band :	₹ 10,160
4.	Existing basic pay :	₹ 12,560 (10,160+2,400)
5.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : 12560 x 2.57 =	₹ 32,279.20 (rounded off to 32279)
6.	Level corresponding to GP 2400 :	Level 4
7.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to ₹ 32279 in Level 4) :	₹ 32,300

<b>Grade Pay</b>	<b>1800</b>	<b>1900</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>	<b>2800</b>
<b>Levels</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	<b>32300</b>	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

- (ii) Where Grade Pay has been merged with higher Grade Pay or upgraded, the basic pay as on 1st January, 2016 in the pre-revised pay structure (as before merging) shall be taken into account at the time of initial fixation of pay from unrevised to revised pay structure adopting above said formula, as clarified in the illustration 2 below:-

**Illustration 2:**

Mr. T was drawing Grade Pay ₹ 3600 as on 1st January, 2016 while working on a post of Assistant. The functional Grade Pay of this post has been merged to ₹ 4200 and the corresponding Level is 6 in the Pay Matrix. His pay in the revised level shall be fixed as under:-

1.	Existing Pay Band :	PB-2
2.	Existing Grade Pay : (merged with GP ₹ 4200)	₹ 3,600
3.	Grade Pay after merger	₹ 4,200
4.	Existing Pay in Pay Band :	₹ 15,000
5.	<b>Existing basic pay :</b>	₹ 18,600 (15,000 + 3,600)
6.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 :	₹ 18,600 x 2.57 = 47,802
7.	Level corresponding to GP ₹ 4,200 :	Level 6
8.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to ₹ 47,802 in Level 6) :	₹ 49,000

<b>Grade Pay</b>	<b>GP 2800</b>	<b>GP 4200</b>	<b>GP 4600</b>
<b>Level</b>	<b>Level 5</b>	<b>Level 6</b>	<b>Level 7</b>
1	29200	35400	44900
2	30100	36500	46200
3	31000	37600	47600
4	31900	38700	49000

5	32900	39900	50500
6	33900	41100	52000
7	34900	42300	53600
8	35900	43600	55200
9	37000	44900	56900
10	38100	46200	58600
11	39200	47600	60400
12	40400	<b>49000</b>	62200
13	41600	50500	64100
14	42800	52000	66000

- (iii) Where a Government employee has been promoted between the period from 1st January, 2016 and the date of notification, to a post the Grade Pay of which has been merged with higher grade pay or upgraded, opt for revised pay structure from a date later than 1st January, 2016 but in their case the pay structure as on 31st December, 2015 of the post held by him on the date of option shall be taken into account, as clarified in the illustration 3 below :-

**Illustration 3:**

Mr. P was working as Labour Inspector in the grade pay of ₹ 3600/- . He was promoted to the post of Labour Officer in GP-4200/- w.e.f. 01.08.2016, the GP of the post of Labour Officer is upgraded from GP-4200/- to GP-4600/- w.e.f. 1st January, 2016 , Mr. P opted revised pay rules from the date of promotion. The pay of Mr. P will be fixed in the following manner:-

1.	Existing Pay Band :	PB-2
2.	Existing pay as on 01.07.2016 as Labour Inspector:	₹ 23,300 (19,700 + 3,600)
3.	Date of promotion :	01.08.2016
4.	Existing grade pay of promotional post:	₹ 4,200
5.	Upgraded grade pay of promotional post:	₹ 4,600
6.	Pay as Labour Officer on 01.08.2016 in the pay structure as on 31.12.2015 i.e. PB-2, Grade Pay 4200	20400+4200 = 24600
7.	Pay fixed as Labour Officer after multiplication by the fitment factor i.e. (24,600 x 2.57= ₹ 63,222 in Level-7):	₹ 64,100

Grade Pay	GP 4200	GP 4600	GP 4800
Level	Level 6	Level 7	Level-8
1	35400	44900	47600
2	36500	46200	49000
3	37600	47600	50500
4	38700	49000	52000
5	39900	50500	53600
6	41100	52000	55200

7	42300	53600	56900
8	43600	55200	58600
9	44900	56900	60400
10	46200	58600	62200
11	47600	60400	64100
12	49000	62200	66000
13	50500	<b>64100</b>	68000
14	52000	66000	70000

- (iv) If the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i), (ii) or (iii) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first Cell of that applicable Level.
- (B) In the case of Medical Officers in respect of whom Non-Practicing Allowance (NPA) is admissible, the pay in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-
- (i) the existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2016. The figure so arrived at will be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix;
  - (ii) the pay so fixed under sub-clause (i) shall be added by the pre-revised Non Practicing Allowance admissible on the **existing basic pay** until further decision on the revised rates of Non-Practicing Allowance.

**Illustration: 4:**

1.	Existing Pay Band :	PB-3
2.	Existing Grade Pay :	₹ 5,400
3.	Existing pay in Pay Band :	₹ 15,600
4.	<b>Existing basic pay :</b>	₹ 21,000
5.	25% NPA on Basic Pay :	₹ 5,250
6.	DA on NPA @ 125% :	₹ 6,563
7.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 : $21,000 \times 2.57 = 53,970$	₹ 53,970
8.	DA on NPA :	₹ 6,563 (125% of 5,250)
9.	Sum of serial number 7 and 8 =	₹ 60,533
10.	Level corresponding to Grade Pay ₹ 5400 (PB-3) :	Level 10
11.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to ₹60,540 in Level 10) :	₹ 61,300
12.	Pre-revised Non Practicing Allowance :	₹ 5,250
13.	Revised Pay + pre-revised Non Practicing Allowance :	₹ 66,550

<b>Grade Pay</b>	<b>5400</b>	<b>6600</b>	<b>7600</b>
<b>Levels</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	<b>61300</b>	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

- Note 1.—** A Government employee who is on leave including Study Leave on the 1st day of January, 2016, and is entitled to leave salary shall be entitled to pay in the revised pay structure from 1st day of January, 2016 or the date of option for the revised pay structure.
- Note 2.—** In case of Government employee under suspension, he shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure and his pay in the revised pay structure will be subject to final order on the pending disciplinary proceedings or otherwise a final order, as the case may be.
- Note 3.—** Where the ‘existing emoluments’ exceed the revised emoluments in the case of any Government employee, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.
- Note 4.—** Where a Government employee is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such Government employee as personal pay to be absorbed in future increase in pay.
- Note 5.—**
  - (a) Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government employee, who, in the existing pay structure was drawing immediately before the 1st day of January, 2016, more pay than another Government employee junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same cell in the revised pay structure as that of the junior.
  - (b) In case where a senior Government employee promoted to a higher post before the 1st day of January, 2016, draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1st day of January, 2016, the pay of the senior Government employee should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay structure as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Government employee.

The stepping up under (a) and (b) above shall be done subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

  - (i) both the junior and the senior Government employees should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre;
  - (ii) the existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be same;
  - (iii) the senior Government employee at the time of his promotion should have been drawing equal or more pay than that of the junior;
  - (iv) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Civil Services Rules or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increment(s) or otherwise granted to him on a personal measure, the provisions of this sub-rule shall not be invoked to step up the pay of the senior officer.

  - (c) After re-fixation of the pay of the senior employee in accordance with clause (a) and (b), he shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

**8. Fixation of pay of employees appointed first time in Government service by direct recruitment or otherwise on or after 1st day of January, 2016.—**

The pay of employees appointed first time in service by direct recruitment or otherwise on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first Cell in the Level, applicable to the post to which such employees are appointed:

Provided that where the existing pay of such employee appointed on or after 1st day of January, 2016 and before the date of notification of these rules, has already been fixed in the existing pay structure and if his existing emoluments happen to exceed the minimum pay or the first Cell in the Level, as applicable to the post to which he is appointed on or after 1st day of January, 2016, such difference shall be paid as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

**9. Increments in Pay Matrix .—**

The increment in the pay matrix shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

**Illustration 5 :**

An employee in the Basic Pay of ₹ 32,300 in Level 4 will move vertically down the same. Level in the cells and on grant of increment, his basic pay will be ₹ 33,300.

<b>Grade Pay</b>	<b>1800</b>	<b>1900</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>	<b>2800</b>
<b>Levels</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	<b>32300</b>	37000
10	23500	26000	28400	<b>33300</b>	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

**10. Date of next increment in the revised pay structure.—**

- (1) There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July:

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation.

Provided further that a Government employee who does not complete six months qualifying service before the date of normal increment due on 1st July or 1st January, as the case may be, his date of next increment shall be changed to 1st January or 1st July and shall be granted subject to admissibility.

- (2) The increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on 1st day of January and the increment in respect of an employee appointed or promoted or granted financial upgradation during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

- (a) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment

shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

- (b) In case of an employee appointed or promoted in the normal hierarchy during the period between 2nd day of January, 2016 and 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in the case of employees whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016:

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2017.

**11. Fixation of pay from a date subsequent to the 1st day of January, 2016.—**

Where a Government employee continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in accordance with clause (A) of sub-rule (1) of rule 7.

**12. Fixation of pay on reappointment after the 1st day of January, 2016 to a post held prior to that date.—**

A Government employee who has officiated in a post prior to the 1st day of January, 2016, but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the revised pay structure shall be allowed the benefit of the provisions in Civil Services Rules to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1st day of January, 2016, and had elected the revised pay structure on and from that date.

**13. Fixation of pay on promotion on or after 1st day of January, 2016.—** The fixation of pay in case of promotion from one post to another in the higher or identical Level of revised pay structure shall be made in the following manner, namely:-

- (i) One increment shall be given in the Level from which the employee is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level of the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.
- (ii) On enhancement in presumptive pay of feeder post due to increment or otherwise while working on promotional post, the pay of promotional post shall be re-fixed as if the incumbent has been promoted on the date of such enhancement, if it is advantageous to him, as provided in rule 4.14 (2) of Punjab Civil Services Rules Volume-I Part-I, applicable prior to 19th July 2016 and Rule 21 of Haryana Civil Services (Pay) Rules 2016, applicable from 19th July, 2016.

**Illustration 6: Fixation of pay of Mr. 'A' on his promotion from Level 7 to Level 8**

1.	Level of pay of feeder post :	Level 7
2.	Basic Pay in the Level of feeder post as on 01.01.2016 :	₹ 52,000
3.	Date of next increment	01.07.2016
4.	Date of promotion from Level 7 to Level 8	01.02.2016
5.	Level of pay of promotional post	Level 8
6.	Pay after adding one increment in Level 7 of feeder post	₹ 53,600
7.	Pay as on the date of promotion in the Level of promotional post i.e. Level 8 :	₹ 53,600 (either equal to or next higher to ₹ 53,600 in Level 8)
8.	Date of next increment in the Level 8 of promotional post.	01.01.2017
9.	Presumptive Pay of the feeder post as on 01.07.2016 after adding one normal increment due on that day.	₹ 53,600

10.	Re-fixation of pay of promotional post due to enhancement in presumptive pay of feeder post as per provision in Rule 4.14(2) of Pb. CSR Volume-I, Part-I.	₹ 55,200
11.	Date of next increment	01.07.2017 and so on.

Grade Pay	4200	4600	4800
Levels	6	7	8
1	35400	44900	47600
2	36500	46200	49000
3	37600	47600	50500
4	38700	49000	52000
5	39900	50500	<b>53600</b>
6	41100	<b>52000</b>	<b>55200</b>
7	42300	<b>53600</b>	56900

**Illustration 7: Fixation of pay on promotion of an employee Mr. B from Level 4 to Level 5**

1.	Level of pay of feeder post :	Level 4
2.	Basic Pay as on 01.01.2016 in the Level of feeder post:	₹ 27,900
3.	Date of next increment	01.07.2016
4.	Pay on annual increment as on 01.07.2016	₹ 28,700
5.	Date of next increment	01.07.2017
5.	Date of Promotion	01.12.2016
6.	Level of pay of promotional post	Level 5
7.	Pay after adding one increment in Level 4 of feeder post	₹ 29,600
8.	Pay as on the date of promotion in the Level of promotional post i.e. Level 5 :	₹ 30,100
9.	Date of next increment	01.07.2017 and so on.

Grade Pay	2400	2800	4200
Levels	4	5	6
1	25500	29200	35400
2	26300	<b>30100</b>	36500
3	27100	31000	37600
4	27900	31900	38700
5	<b>28700</b>	32900	39900
6	<b>29600</b>	33900	41100
7	30500	34900	42300

**Illustration 8: Fixation of pay on promotion in identical/ same level after merger:-**

Before 01.01.2016, the Grade Pay of School Principal was ₹ 6000 and Grade pay of promotional post namely District Education Officer was ₹ 6400.

Now, Grade Pay of ₹ 6000 and ₹ 6400 of all the posts have been merged with Grade Pay ₹ 6600 and the feeder and promotional posts have come in identical Level-11. Pay of a Principal on promotion as District Education Officer will be fixed as under:-

1.	Level of pay of feeder as well as promotional post :	Level 11
2.	Basic Pay as on 01.07.2016 in the Level of Principal	₹ 88,400
3.	Date of next increment	01.07.2017
4.	Date of promotion as DEO	31.08.2016
5.	Level of pay of promotional post	Level 11
6.	Pay after giving one increment in Level 11 of feeder post	₹ 91,100
7.	Date of next increment	01.07.2017 and so on.

Grade Pay	5400	6600	7600
Level	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	61300	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400
7	67000	80900	94100
8	69000	83300	96900
9	71100	85800	99800
10	73200	88400	102800
11	75400	91100	105900
12	77700	93800	109100

(iii) In the case of Government employees receiving Non-Practicing Allowance, their basic pay plus Non-Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the HAG Level (₹ 2,24,100) and the Level of the Chief Secretary (₹ 2,25,000) which comes to ₹ 2,24,550.

**14. Mode of payment of arrears of pay.—**

The arrears shall be paid in cash, preferably during the current financial year 2016-17.

**Explanation:-**

For the purposes of this rule:

- (a) “arrears of pay” in relation to a Government employee means the difference between the aggregate of the pay and dearness allowance to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules, for the period effective from the 1st day of January, 2016 and the aggregate of the pay and dearness allowance to which he would have been entitled (whether such

pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised;

- (b) The Interim Relief ₹ 2,000/- (Two thousand rupees only) per month paid to Group C and D employees is discontinued from 1st January, 2016 and the same paid from 01.01.2016 onwards shall be recovered from them.
- (c) The Risk Allowance of Rs. 5,000/- (Five Thousand rupees only) per month granted to the personnel of Haryana Police and Prisons Department Haryana vide instructions dated 19th December, 2013 shall be continued till such time as may be separately ordered by the Government.

**15. Overriding effect of rules.—**

The provisions of Civil Services Rules or any other rules made in this regard shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with these rules.

**16. Power of relax.—**

Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

**Note.—** The relaxation so granted under this rule shall be deemed to have been given depending upon the merit of such class and categories of Government employees and therefore, will not amount to any discrimination with other class and categories of Government employees.

**17. Power to make addition or deletion etc.—**

Where the Government is satisfied that there is a necessity to make additions or delete any class or categories of posts or change the designations and structure of pay either permanently or temporarily in the schedules of these rules, the Government will be competent to add or delete or change such conditions. The provisions of these rules will apply on such additions or deletions or changes as the Government may direct by specific orders or in the absence of that all the provisions of these rules shall apply as if the changes were made.

**18. Interpretation.—**

If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Finance Department through the Administrative Department concerned.

**19. Residuary provisions.—**

In the event of any general or special circumstance which is not covered under these rules or about which certain inconsistency comes to the notice, the matter shall be referred to the Government and Government will prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions under these rules, the Government shall prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be the part of these rules.

**Schedule I**  
**Pay Matrix**

(In ₹)

Pay Band	-1S, 4440-7440		PB-1, 5200-20200				PB-2, 9300-34800				PB-3, 15600-39100				PB-4, 37400-67000				HAG					
	Grade Pay	Pay Band	1650	1800	1900	2000	2400	2800	(GP-2500 merged with GP-1950 merged with GP-2000)	4600	4800	5400	(GP-5200 merged with GP-5400)	5400	6600	(GP-6000 & 6400 merged with GP-6600)	7600	8000	8700	8800	8900	9500	9800	10000
Entry Pay (pay in PB +GP)	6580	7000	7730	8460	9910	11360	13500	17140	18150	20280	21000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	47400	47400	47400	67000
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57																		
level DL **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	16900	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	88400	118500	118700	123600	125200	126000	128900	128900	128900	182200	
2	17400	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	91100	122100	122300	127300	129000	129800	132800	132800	132800	187700	
3	17900	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	93800	125800	126000	131100	132900	133700	136800	136800	136800	193300	
4	18400	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	96600	129600	129800	135000	136900	137700	140900	140900	140900	199100	
5	19000	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	99500	133500	133700	139100	141000	141800	145100	145100	145100	205100	
6	19600	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	61500	65000	78500	91400	102500	137500	137700	143300	145200	145200	146100	146100	149500	149500	211300	
7	20200	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	105600	141600	141800	147600	149600	150500	154000	154000	154000	217600	
8	20800	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	108800	145800	146100	152000	154100	155000	158600	158600	158600	224100	
9	21400	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	112100	150200	150500	156600	158700	159700	163400	163400	163400		
10	22000	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	115500	154700	155000	161300	163500	164500	168300	168300	168300		

Pay Band	-1S, 4440-7440		PB-1, 5200-20200				PB-2, 9300-34800				PB-3, 15600-39100				PB-4, 37400-67000				HAG			
	Grade Pay	(GP-1300 & 1400 merged with GP-1650)	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600 (GP-5200 merged with GP-5400)	7600	8000	8700	8800	8900	9500	9800	10000	67000-79000
Entry Pay (pay in PB +GP)	6580	7000	7730	8460	9910	11360	13500	17140	18150	20280	21000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	47400	67000
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.57	2.57	2.67	2.67	2.72
level	DL **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	22700	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	119000	159300	159700	166100	168400	169400	173300		
12	23400	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	122600	164100	164500	171100	173500	174500	178500		
13	24100	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	126300	169000	169400	176200	178700	179700	183900		
14	24800	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	130100	174100	174500	181500	184100	185100	189400		
15	25500	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	134000	179300	179700	186900	189600	190700	195100		
16	26300	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	138000	184700	185100	192500	195300	196400	201000		
17	27100	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	142100	190200	190700	198300	201200	202300	207000		
18	27900	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	146400	195900	196400	204200	207200	208400	213200		
19	28700	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	150800	201800	202300	210300	213400	214700	219600		
20	29600	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	155300	207900	208400						
21	30500	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	160000								
22	31400	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700	164800								
23	32300	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100	169700								



Pay Band	-1S, 4440-7440	PB-1, 5200-20200				PB-2, 9300-34800				PB-3, 15600-39100				PB-4, 37400-67000				HAG			
Grade Pay	1650	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	6600	7600	8000	8700	8800	8900	10000	67000-79000			
	(GP-1300 & 1400 merged with GP-1650)				(GP-1950 merged with GP-2000)	(GP-2500 merged with GP-2800)	(GP-3600* & 4000 merged with GP-4200)			(GP-5200 merged with GP-5400)	(GP-6000 & 6400 merged with GP-6600)										
Entry Pay (pay in PB +GP)	6580	7000	7730	8460	9910	11360	13500	17140	18150	20280	21000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	67000
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.57	2.57	2.67	2.67	2.72	2.72	
level	DL **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	48900	52000	57900	63200	74200	84500	102800	1130400	1138300	153600	162400										
38	50400	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300										
39	51900	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300										
40	53500	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500										

Note:- \* Grade Pay 3200 and 3300 have already merged/ upgraded with Grade Pay 3600 vide Government order dated 28.08.2014.  
 \*\* DL denotes Level for Group-D.

**SCHEDEULE - II****Form of Option***[See rule 6]*

\* (i) I, \_\_\_\_\_ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

\* (ii) I, \_\_\_\_\_ hereby elect to continue on the existing pay structure of pay of my substantive/ officiating post mentioned below until:

\* The date of my next increment;

I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure;

the date of my promotion to \_\_\_\_\_

Present pay structure \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Station: \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Office in which employed \_\_\_\_\_

\* To be scored out, if not applicable.

**MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE HARYANA CIVIL SERVICES (REVISED PAY) RULES,  
2016**

- Rule 1—** This rule is self-explanatory.
- Rule 2—** This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under sub-rule (2), the rules are applicable to all persons under the rule making power of Government of Haryana serving in connection with the affairs of Government of Haryana and whose pay is debitible to the consolidated fund of the State of Haryana. These rules do not apply to any other categories of employees.
- Rule 3—** This rule is self-explanatory.  
 Further, wherever the terms defined under this rule are mentioned in these rules or in any other rules/ instructions/ orders/ notifications etc. issued in connection with these rules, definitions as prescribed under this rule is to be taken as the meaning for and in these rules or, as the case may be, in any other rules/ instructions/ orders/ notifications etc.
- Rule 4—** This rule is self-explanatory.
- Rule 5—** The intention is that all Government employees should be brought over to the revised pay structure except those who elect existing pay structure. The Government employees who exercise the option to continue in the existing pay structure will continue to draw the dearness allowance and interim relief at the rates in force on 1st January, 2016.
- Rule 6—** This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who shall be apprised of such option. The option has to be exercised in the form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Government employee to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time of notification of these rules, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Government employees the revised pay structure of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement. Persons who have retired between 1st January 2016 and the date of notification of these rules are also eligible to exercise option.
- Rule 7—** This rule deals with the actual fixation of pay in the revised functional pay scales on 31st December, 2015. For the purposes of these rules the procedure under this rule and no other procedure under a different rule shall be followed. The illustrations indicating the manner in which pay of Government employee should be fixed under this rule have been given below the respective rule.
- Rule 8—** This rule prescribes the method of fixation of pay of employees appointed on direct recruitment on or after 1st day of January, 2016.
- Rule 9 & 10—** These rules prescribe the manner in which the next increment in the new pay structure shall be regulated. The illustrations indicating the manner in which increment of a Government employee should be regulated have been given below the respective rule.
- Rules 11 to 14—** These rules are self-explanatory.
- Rules 15—** This rule relates to the overriding effect to the rule which provides that the provisions of these rules will regulate and the provisions of any other rule will not regulate the conditions as prescribed in these rules and to the extent of any inconsistency between the provisions of these rules and provisions of any other rules, the provisions of these rules shall prevail and apply.
- Rules 16—** There could be a possibility that these rules may cause some hardship in any particular case or to a class or category of posts. Under such circumstances the provisions of rule is clear that it has to be invoked only if the Government is satisfied about the existence of some hardship which is required to be relaxed. The relaxation of such hardship shall be based on the merit of individual cases or the cases or the cases of class and categories of employees where such hardship is found to be justified for relaxation. Removal of such hardship would therefore, not amount to any discrimination where such hardship has either not been found to exist or has not been found to be justified for relaxation.

**Rules 17—** If the circumstances so requires the Government can add or delete or change any of the parameters as mentioned in the Schedule-I and may further direct the mode in which the provisions of these rules shall be applicable on such changes either generally or specifically. However, in event of absence of any general or specific direction for the applicability of the provisions laid down under these rules, it shall be presumed that the entire rule shall be applicable on such changes

**Rules 18 & 19—** These rules are self-explanatory.

P. RAGHAVENDRA RAO,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana  
Finance Department

54742—C.S.—H.G.P., Chd.